

## दीवानी विविध

माननीय न्यायमूर्ति हरबंस सिंह और एसएस संधावालिया के समक्ष

मैसर्स ऑटो पिन्स (इंडिया) पंजीकृत, फरीदाबाद, - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता।

1968 की दीवानी विविध

रिट संख्या 2238

12 फरवरी, 1970।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (1956 का LXXIV) - धारा 9 - केंद्रीय बिक्री कर के भुगतान के मूल्यांकन, संग्रह और प्रवर्तन के लिए मौजूदा राज्य कानून को संसद द्वारा अपनाया जाना - क्या इसके किसी भी कार्य को त्यागना - इस तरह का अंगीकरण - क्या मौजूदा राज्य कानून - केंद्रीय बिक्री कर (पंजाब नियम 1957) - नियम 1-ए और 9 - पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1948 का एक्सएलवीजे ) में संभावित संशोधनों का विस्तार किया जा सकता है। 10 (4) और 10 (6) - नियम 9 - क्या धारा 10 (4) और 10 (6) में दंड खंडों को ओवरराइड करता है ।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि संसद के पास केंद्रीय बिक्री कर लगाने के उद्देश्य से कानून बनाने के लिए संप्रभु और पूर्ण शक्तियां हैं और इसके परिणामस्वरूप यह संबंधित राज्य विधानमंडलों को यथोचित रूप से इस शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है। जाहिर है कि संघ के प्रत्येक राज्य के लिए उक्त उद्देश्य के लिए अलग-अलग कानून बनाना असंभव नहीं तो अव्यावहारिक जरूर होता। इसलिए, वह राज्य विधानमंडल की एजेंसी का उपयोग उस सीमा तक कर सकता है जहां तक उसे ऐसा करने के लिए आवश्यक लगता है क्योंकि प्रत्येक राज्य के क्षेत्र के बारे में कानून बनाना उसके लिए स्पष्ट रूप से असुविधाजनक होता। ऐसा करने में, संसद किसी भी तरह से अपने किसी भी कार्य को त्यागती नहीं है और न ही यह अधिनियम एक समानांतर विधायिका की स्थापना के समान है। भारत संघ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय बिक्री कर के संग्रहण के संबंध में उत्पन्न जटिल स्थिति में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(3) में किए गए प्रावधान के अलावा किसी अन्य तरीके से गंभीर विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

(पैरा 7)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि संसद केंद्रीय बिक्री कर के प्रयोजनों के लिए दंड सहित किसी भी कर के मूल्यांकन, संग्रह और भुगतान के प्रवर्तन के उद्देश्य से उपयुक्त राज्यों के मौजूदा कानूनों को संदर्भित करके अपनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ऐसा होने पर, यह संवैधानिकता की सीमाओं को पार नहीं करता है, यदि यह ऐसे मौजूदा कानून को किसी अनुवर्ती संशोधन के साथ अपनाता है, जिसे उपयुक्त राज्य विधानमंडलों द्वारा उसमें बनाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 9 को पूरी तरह से और केंद्रीय अधिनियम की योजना में पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि दंड से संबंधित प्रावधानों सहित राज्यों के सामान्य बिक्री कर कानूनों के प्रावधान केंद्रीय अधिनियम के तहत देय कर के आकलन, भुगतान, संग्रह और वसूली की पूरी प्रक्रिया पर लागू किए गए थे और अभिव्यक्ति का सही प्रभाव तदनुसार लागू होगा। जिसका उपयोग केंद्रीय

अधिनियम की धारा 9 (3) के अंत में किया गया है। इसलिए संसद द्वारा मौजूदा राज्य को अपनाने पर सिद्धांत रूप में कोई रोक नहीं है

251U

केन्द्रीय बिक्री कर के संग्रहण के प्रयोजनार्थ विधानों के साथ-साथ संबंधित राज्यों द्वारा किए जाने वाले किसी भी संभावित संशोधनों के साथ। (पैरा 8)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत बनाए गए केन्द्रीय बिक्री कर (पंजाब नियम 1957) पूरी तरह से अलग क्षेत्र पर कब्जा करते हैं और कर का भुगतान न करने के लिए मूल्यांकन, संग्रह और दंड लगाने की शक्तियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। कर का भुगतान करने और निविदा करने का दायित्व पंजाब अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (4) द्वारा लगाया जाता है और इसके तहत बनाए गए नियम ऐसा करने के तरीके और तरीके को निर्धारित करते हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पंजाब अधिनियम की धारा 10(6) के तहत सीधे दंडात्मक प्रावधान लागू होगा। नियमों के नियम 7-ए के प्रावधानों का बारीकी से विश्लेषण करने पर, यह स्पष्ट होता है कि यह नियम पूरी तरह से कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए है जो अधिकारियों द्वारा आवश्यक हो सकता है। ये प्रावधान प्रपत्रों आदि से संबंधित पूर्णतया प्रक्रियात्मक हैं और प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का तरीका है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 (3) के साथ पढ़े गए पंजाब अधिनियम के मूल प्रावधानों के लिए उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, जो उन प्रावधानों के तहत देय करों के भुगतान और निविदा के मूल्यांकन या देयता के बारे में हैं। मूल्यांकन, संग्रह और किसी भी कर के भुगतान को लागू करने की शक्ति का प्रासंगिक क्षेत्र, जिसमें आवश्यक रूप से कोई जुर्माना शामिल है, पंजाब अधिनियम की धारा 10 द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके अलावा, नियमों का नियम 9 नियम 7-ए के उल्लंघन को उसके तहत दंडनीय अपराध बनाता है। यह किसी भी तरह से पंजाब अधिनियम की धारा 10 (6) के तहत प्रदान किए गए दंड लगाने के लिए प्राधिकरण की शक्ति को नहीं छीनता है। इसलिए नियम 9 पंजाब अधिनियम की धारा 10 (4) और 10 (6) में दंड खंडों को ओवरराइड नहीं करता है। (पैरा 14 और 16)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 9 (3) के तहत जुर्माना लगाने की आकलन प्राधिकरण की शक्ति को पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1948 की धारा 10 (6) के साथ रद्द कर दिया जाए।

के.एस. याचिकाकर्ता की ओर से वकील थापर।

डी.एस. उत्तरदाताओं के लिए तेवतिया, महाधिवक्ता, हरियाणा।

### निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति हरबंस सिंह और एसएस संधावालिया - पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1948 की धारा 10 (6) के साथ केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 9 (3) के तहत जुर्माना लगाने की आकलन प्राधिकरण की शक्ति इन सात संबंधित रिट याचिकाओं संख्या 2238,

3414, 3415, 3416, 3628 और 3629 और 1969 की संख्या 234 में चुनौती का विषय है। इन याचिकाओं में कानून के समान बिंदु उत्पन्न होते हैं और हम इस फैसले द्वारा उन सभी का निपटारा करने का प्रस्ताव करते हैं।

**मैसर्स ऑटो पिन (इंडिया) पंजीकृत, फरीदाबाद बनाम हरियाणा राज्य, आदि।  
(संधावालिया, जे।**

2. 1968 के सिविल रिट संख्या 2238 के तथ्य, जिसमें श्री थापर द्वारा मुख्य तर्क को संबोधित किया गया है, अकेले दोहराया जा सकता है। मैसर्स ऑटो पिन (इंडिया), एक पंजीकृत साझेदारी फर्म ने 31 दिसंबर, 1967 को समाप्त तिमाही के लिए रिटर्न दाखिल किया, जिसमें 9,04,609.94 रुपये का कर योग्य कारोबार दिखाया गया और करदाता द्वारा गणना की गई कर बकाया राशि 31,632.84 रुपये बताई गई। इस कर का भुगतान 31 जनवरी, 1968 तक किया जाना था, लेकिन पक्षकारों का यह स्वीकार किया गया मामला है कि यह कर इतना जमा नहीं किया गया था और ऐसा न करने का कारण, जैसा कि याचिका में कहा गया है, यह है कि बिक्री सरकारी विभागों को अनुमोदन के आधार पर की गई थी और चूंकि राशि का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया था। इसलिए टैक्स जमा नहीं किया जा सका। प्रतिवादी-राज्य की ओर से यह कहा गया है कि जैसे ही क्रय दलों द्वारा बैली से माल की सुपुर्दगी ली जाती है, बिक्री पूरी हो जाती है और अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर लगाया जाता है और इस बात की जानकारी के अभाव में इससे इंकार कर दिया गया है कि सरकारी विभाग ने संबंधित अवधि के दौरान इसके लिए भुगतान नहीं किया था। बकाया कर का भुगतान न करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता 18 मार्च, 1968 को मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें ट्रेजरी में भुगतान करने और 21 मार्च, 1968 को सुबह 10.00 बजे तक रसीद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। लेकिन यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उक्त तारीख और समय पर कोई भी पेश नहीं हुआ। 30 मार्च, 1968 को अंतिम सुनवाई से पहले एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने नकद में राशि जमा नहीं की, हालांकि याचिका में यह कहा गया है कि यह बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। आकलन प्राधिकरण के समक्ष कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति और इसके परिणामस्वरूप कर जमा करने में असमर्थता की एक याचिका भी ली गई थी, जिसे लागू आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और आकलन प्राधिकरण ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 (3) के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 (6) के साथ पढ़ा जाता है। याचिकाकर्ताओं ने बाद में 1 अप्रैल, 1968 को देय कर जमा किया। यह यह जुर्माना लगाया गया है जिसे याचिकाकर्ताओं की ओर से कानून द्वारा अनुचित माना गया है।
3. श्री थापर ने याचिका के समर्थन में दो तर्कों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। इनमें से पहला यह है कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (इसके बाद केंद्रीय अधिनियम के रूप में संदर्भित) वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था और इसकी धारा 9 के उप-खंड (3) द्वारा प्राधिकरण के तहत उपयुक्त राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून को भारत सरकार की ओर से किसी भी दंड सहित किसी भी कर के भुगतान का आकलन, संग्रह और लागू करने का अधिकार दिया गया था। पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (इसके बाद पंजाब अधिनियम के रूप में संदर्भित) में कर और रिटर्न के भुगतान के लिए प्रासंगिक प्रावधान तब उक्त अधिनियम की धारा 10 में निहित थे, जैसा कि 1952 के अधिनियम 6 द्वारा संशोधित किया गया था। इसलिए यह तर्क दिया गया कि 1956 का केंद्रीय अधिनियम केवल पंजाब अधिनियम की धारा 10 के मौजूदा

**एलएलए। पंजाब और हरियाणा**(1972)<sup>1</sup>

प्रावधानों को ही अपना सकता था क्योंकि वे 1956 में केंद्रीय अधिनियम के अधिनियमन पर खड़े थे और उस समय धारा 10 में उप-धारा (6) शामिल नहीं थी जो जुर्माना लगाने के लिए प्रासंगिक प्रावधान है। यह शक्ति 1960 के पंजाब अधिनियम संख्या 18 में संशोधन करके 1 अप्रैल, 1960 से 1948 के पंजाब अधिनियम की धारा 10 में इस उप-धारा को जोड़कर दी गई थी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि संसद पंजाब में राज्य विधानमंडल द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों को भावी प्रभाव से स्वीकार नहीं कर सकती है और इसके अलावा यह पंजाब विधानमंडल को केंद्रीय बिक्री कर के संबंध में कानून बनाने के अपने स्वयं के कार्यों को नहीं सौंप सकती है। पंजाब अधिनियम के संबंध में भविष्य में संशोधन करने वाले कानून को अपनाने के लिए अधिकृत करने वाले ऐसे किसी भी प्रतिनिधिमंडल को संसद द्वारा विधायी शक्ति का त्याग माना जाता था और इसलिए यह असंवैधानिक और अमान्य था। सिद्धांत रूप में इस तर्क को विस्तृत करने के अलावा, श्री थापर ने मद्रास के तीन निर्णयों पर भरोसा किया: *डी. एच. शाह एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य*, मद्रास राज्य बनाम एम अंगप्पा *चेट्टियार*<sup>2</sup> (2), और के ए रामुडु चेट्टियार बनाम *मद्रास राज्य*<sup>3</sup>। ये अधिकारी निस्संदेह याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए विवाद का समर्थन करते हैं।

4. प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः पेश करना आवश्यक हो जाता है, जिस कानून के चारों ओर प्रतिद्वंद्वी विवाद घूमते हैं। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(3) और धारा 9(4) निम्नलिखित शब्दों में हैं :-

"9 (3) उपयुक्त राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के तहत किसी कर का आकलन, संग्रह और भुगतान लागू करने के लिए अधिकारियों को भारत सरकार की ओर से, और इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, किसी भी दंड सहित किसी भी कर के भुगतान का आकलन, संग्रह और प्रवर्तन करने का अधिकार होगा। इस अधिनियम के तहत एक डीलर द्वारा उसी तरह से देय किया जाता है जिस पर कर लगाया जाता है

(एक)	20 एस.टी.सी. 146.
(दो)	22 एस.टी.सी. 226.
(तीन)	22 एस.टी.सी. 283.

<sup>1</sup> 20 S.T.C 146.

<sup>2</sup> 22 S.T.C 226

<sup>3</sup> 22 S.T.C 283

**मैसर्स ऑटो पिन (इंडिया) पंजीकृत, फरीदाबाद बनाम हरियाणा राज्य, आदि।  
(संधावालिया, जे।**

राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के तहत माल की बिक्री या खरीद का आकलन, भुगतान और संग्रह किया जाता है; और इस उद्देश्य के लिए वे राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के तहत उनके पास मौजूद सभी या किसी भी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं; और ऐसे कानून के प्रावधान, जिसमें रिटर्न अपील, समीक्षा, संशोधन, संदर्भ, दंड और अपराधों के कंपाउंडिंग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, तदनुसार लागू होंगे।

बशर्ते कि\* \* \* \*

4. भारत सरकार की ओर से किसी राज्य (संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर) में इस अधिनियम के अधीन लगाए गए और एकत्र किए गए किसी भी कर की किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय, उस राज्य को सौंपी जाएगी और उसके द्वारा रखी जाएगी; और केंद्र शासित प्रदेशों को होने वाली आय भारत की संचित निधि का हिस्सा होगी।

धारा 10 (1); पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 (4) और 10 (6) इस प्रकार हैं: -

*"कर और रिटर्न का भुगतान।*

10(1) इस अधिनियम के अधीन देय कर का भुगतान उसके बाद ऐसे अंतरालों पर किए गए तरीके से किया जाएगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं;

2. & (3) \* \* \* \*

4. इससे पहले कि कोई पंजीकृत डीलर उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करे, वह निर्धारित रीति से इस अधिनियम के अधीन उससे देय कर की पूरी राशि का भुगतान ऐसे विवरणियों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी खजाने में करेगा और ऐसी राशि के भुगतान को दर्शाते हुए ऐसे कोषागार या बैंक से प्राप्त विवरणियों की रसीद के साथ प्रस्तुत करेगा;

5. \* \* \* \*

6. यदि कोई डीलर उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के प्रावधानों की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है, तो आयुक्त या कोई व्यक्ति

नियुक्त उप-धारा (1) या धारा 3 के तहत रम की सहायता करने के लिए, ऐसे डीलर को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उसे दंड के रूप में, कर की राशि के डेढ़ गुना से अधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है, जो उस पर धारा 11 के तहत मूल्यांकन की जाने वाली कर की राशि के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी। और जहां कोई कर देय नहीं है, एक राशि एक सौ रुपये से अधिक नहीं है।

उपर्युक्त संविधियों के उपबंधों के आलोक में इस तर्क का सार यह है कि क्या संसद केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(3) को अधिनियमित करते समय उपयुक्त राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर

के संग्रहण के प्रयोजनों के लिए कानून बनाने और उसके लिए मौजूदा कानून को भावी प्रभाव से अपनाने की शक्तियां प्रत्यायोजित करने की हकदार थी।

5. यह हमें प्रत्यायोजित कानून के दायरे और सीमाओं के जटिल प्रश्न पर लाता है। इस बिंदु पर कानून की क्लासिक व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप के फैसले में दिखाई देती है। अनुच्छेद 143, भारत का संविधान और दिल्ली कानून अधिनियम<sup>4</sup>। फजल अली जे, जिन्होंने उक्त मामले में विधियों की वैधता को बनाए रखने में बहुमत के साथ सहमति व्यक्त की, ने पहले वर्तमान प्रशासन की मजबूरियों और जटिलता को उजागर किया, जिसके लिए प्रत्यायोजित कानून का सहारा लेने की आवश्यकता होती है और महामहिम ने निम्नानुसार कहा है: -

"मैंने इन उदाहरणों का उल्लेख यह दिखाने के लिए किया है कि आधुनिक प्रशासन की जटिलता और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में राज्य के कार्यों के विस्तार ने कानून के नए रूपों का सहारा लेना और उपयुक्त अवसरों पर विभिन्न अधिकारियों को व्यापक शक्तियां देना आवश्यक बना दिया है।

और फिर से प्रत्यायोजित कानून का उल्लेख करते हुए-

"कानून का यह रूप आज की आवश्यकता बन गया है, और यह रहने के लिए आ गया है - यह अपरिहार्य और अपरिहार्य दोनों है। विधायिका को अब इतने सारे कानून बनाने हैं कि उसके पास सभी विधायी विवरणों को समर्पित करने का समय नहीं है, और कभी-कभी जिस विषय पर उसे कानून बनाना होता है, वह इतनी तकनीकी प्रकृति का होता है कि वह केवल यह बता सकता है कि

<sup>4</sup> A.I.R. 1951 S.C. 332



**मैसर्स ऑटो पिन (इंडिया) पंजीकृत, फरीदाबाद बनाम हरियाणा राज्य, आदि।  
(संधावालिया, जे।**

सिद्धांतों को व्यापक करें और विवरणों को उन लोगों द्वारा तैयार करने के लिए छोड़ दें जो इस विषय से अधिक परिचित हैं।

विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित प्रश्न पूछा जो प्रत्यायोजित विधान के सिद्धांत के मूल तक गया और इसे निम्नानुसार तैयार किया:-

"क्या एक विधायिका जो संप्रभु है या उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर पूर्ण शक्तियां हैं, अपने विधायी कार्यों को एक कार्यकारी प्राधिकरण या किसी अन्य एजेंसी को सौंप सकती है, और यदि हां, तो वह किस हद तक ऐसा कर सकती है"?

इसका उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दिया गया था -

"जिन निष्कर्षों पर मैं अब तक पहुंचा हूं, उन्हें अब अभिव्यक्त किया जा सकता है:

1. विधायिका को सामान्यतया अपना प्राथमिक विधायी कार्य स्वयं करना चाहिए न कि दूसरों के माध्यम से .
2. एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि उसके पास एक निश्चित क्षेत्र के भीतर संप्रभु शक्तियां हैं, तो उसे एक परिणाम के रूप में पालन करना चाहिए कि वह उस क्षेत्र के भीतर किसी भी तरह से कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, जो किसी विशेष कानून को बनाने में अपने इरादे और नीति को प्रभावी बनाने का सबसे अच्छा तरीका प्रतीत होता है, और यह कि यह किसी भी बाहरी एजेंसी का उपयोग किसी भी सीमा तक उन चीजों को करने के लिए आवश्यक लगता है जो वह करने में असमर्थ है। खुद को करें या ऐसा करने के लिए असुविधाजनक पाएं। दूसरे शब्दों में, यह वह सब कुछ कर सकता है जो कानून की अपनी शक्ति के पूर्ण और प्रभावी प्रयोग के लिए सहायक और आवश्यक है;
3. यह अपने विधायी कार्यों को त्याग नहीं सकता है, और इसलिए, किसी बाहरी एजेंसी को शक्ति सौंपते समय, इसे यह देखना चाहिए कि ऐसी एजेंसी एक अधीनस्थ प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है और समानांतर विधायिका नहीं बनती है।
6. यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त प्रसिद्ध निर्णय में, अधिकांश विद्वान न्यायाधीशों ने अजमेर-मेरवाड़ा (कानूनों का विस्तार) अधिनियम और भाग 'सी' राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 के प्रासंगिक प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, जिसने कार्यकारी (केंद्र सरकार) को अधिसूचना द्वारा विस्तारित करने की शक्तियां प्रदान कीं।

सरकारी राजपत्र में संबंधित राज्यक्षेत्र के लिए कोई अधिनियमन जो किसी अन्य प्रांत या राज्य में ऐसे प्रतिबंधों और संशोधनों के साथ लागू हो सकता है जो वह उचित समझे।

7. दिल्ली विधि अधिनियम मामले सुप्रा (4) के अनुपात को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि संसद केंद्रीय बिक्री कर के प्रयोजनों के लिए दंड सहित किसी भी कर के मूल्यांकन, संग्रह और भुगतान के प्रवर्तन के उद्देश्य से उपयुक्त राज्यों के मौजूदा कानूनों को संदर्भित करके अपनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी। यदि ऐसा है, तो क्या यह संवैधानिकता की सीमाओं को पार कर जाएगा, यदि वह ऐसे मौजूदा विधान को किसी अनुवर्ती संशोधन के साथ स्वीकार करता है, जिसे उपयुक्त राज्य विधानमंडलों द्वारा उसमें बनाया जा सकता है? हमें ऐसा नहीं लगता। संसद के पास केन्द्रीय बिक्री कर लगाने के प्रयोजन राथ कानून बनाने की सार्वभौम और पूर्ण शक्तियां थीं और इसके परिणामस्वरूप वह इस शक्ति को यथोचित रूप से संबंधित राज्य विधानमंडलों को प्रत्यायोजित कर सकती थी। जाहिर है कि संघ के प्रत्येक राज्य के लिए उक्त उद्देश्य के लिए अलग-अलग कानून बनाना असंभव नहीं तो अव्यावहारिक जरूर होता। इसलिए, वह राज्य विधानमंडल की एजेंसी का उपयोग उस सीमा तक कर सकता था जहां तक उसे ऐसा करने के लिए आवश्यक लगता था क्योंकि प्रत्येक राज्य के क्षेत्र के बारे में कानून बनाना उसके लिए स्पष्ट रूप से असुविधाजनक होता। ऐसा करने में, संसद किसी भी तरह से अपने किसी भी कार्य को त्यागती नहीं है और न ही यह अधिनियम किसी भी आत्म-प्रभाव या समानांतर विधायिका की स्थापना के बराबर है। उपयुक्त राज्यों द्वारा किए गए कर के संग्रह के लिए ऐसे किसी भी प्रत्यायोजित विधान (सीमित सहायक उद्देश्य के लिए) को नियंत्रित करने, वापस लेने या संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित रहेगी और वह किसी भी समय ऐसा करने का विकल्प चुन सकती है। वास्तव में, विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में केंद्रीय बिक्री कर के संग्रह के संबंध में उत्पन्न जटिल स्थिति में, जिसमें भारत संघ शामिल है, केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 (3) में किए गए प्रावधान के अलावा किसी भी अन्य तरीके से गंभीर विसंगतियां हो सकती हैं।
8. केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 (3) के अधिनियमन के इतिहास और उद्देश्यों का एक संक्षिप्त संदर्भ स्थिति को स्पष्ट करने में मदद करेगा। जब तक 1966 का केंद्रीय अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तब तक विभिन्न राज्य बिक्री कर कानूनों में पहले से ही मौजूद थे, जिसमें बिक्री कर के भुगतान और संग्रह के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल थे और बिक्री कर के भुगतान के प्रवर्तन के लिए एक विस्तृत मशीनरी भी मौजूद थी। यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय अधिनियम का उद्देश्य केन्द्रीय बिक्री कर के संग्रह आदि के प्रयोजनार्थ किसी अन्य समानांतर तंत्र की स्थापना करना नहीं था, बल्कि उसे अपनाना था।

**मैसर्स ऑटो पिन (इंडिया) पंजीकृत, फरीदाबाद बनाम हरियाणा राज्य, आदि।  
(संघावालिया, जे।**

उक्त उद्देश्य के लिए मौजूदा मशीनरी। इसलिए, धारा 9(3) को उस मौजूदा तंत्र के उपयोग को अधिकृत करने के लिए अधिनियमित किया गया था और केंद्रीय अधिनियम के तहत देय कर की प्रभावी वसूली के लिए विभिन्न राज्यों में पहले से ही लागू बिक्री-कर कानूनों के प्रासंगिक प्रावधान थे। इसका उद्देश्य प्रक्रिया की बहुलता या जटिलता से बचना और राज्यों में सामान्य बिक्री-कर और 1956 के अधिनियम द्वारा लगाए गए केंद्रीय कर दोनों की प्रक्रिया में एकरूपता लाना था। प्रक्रिया की इस पहचान को बनाए रखने के लिए यह स्पष्ट रूप से आवश्यक था कि उपयुक्त राज्यों द्वारा किए जाने वाले किसी भी संभावित संशोधन को भी केंद्रीय कर के संग्रह के उद्देश्य से अपनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 9 (4) में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से एकत्र किए गए केंद्रीय बिक्री-कर की आय संबंधित राज्य को सौंपी जाएगी और उसके द्वारा रखी जाएगी। इस कर का एक पैसा भी संघ के खजाने में नहीं जाना था। नतीजतन, यदि आय को राज्यों को विनियोजित किया जाना था, तो यह समान रूप से सुसंगत था कि इन आयों के संग्रह की प्रक्रिया भी राज्यों द्वारा सामान्य बिक्री-कर के संग्रह की प्रक्रिया के समान होनी चाहिए। धारा 9 को पूरी तरह से और अधिनियम की योजना में पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दंड से संबंधित प्रावधानों सहित राज्यों के सामान्य बिक्री-कर कानूनों के प्रावधान केंद्रीय अधिनियम के तहत देय कर के आकलन, भुगतान, संग्रह और वसूली की पूरी प्रक्रिया पर लागू किए गए थे और यह अभिव्यक्ति का सही प्रभाव होगा जो तदनुसार लागू होगा। जिसका उपयोग केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 (3) के अंत में किया गया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए हम केन्द्रीय बिक्री कर के संग्रहण के प्रयोजनार्थ संसद द्वारा मौजूदा राज्य विधानों को अपनाने के साथ-साथ संबंधित राज्यों द्वारा किए जाने वाले किसी भी संभावित संशोधनों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर कोई रोक नहीं देख पा रहे हैं।

9. मद्रास के जिन तीन फैसलों पर श्री थापर ने भरोसा किया था, उन पर अब ध्यान दिया जा सकता है। इनमें से पहला है डी. एच. शाह एंड कंपनी। बहुत। मद्रास राज्य (1)। इस मामले में डिवीजन बेंच ने हाजी जेए करीम सैत बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, मेट्टुपलायम<sup>5</sup> मामले में दिए गए दृष्टिकोण को इसी प्रकार मद्रास राज्य बनाम अंगप्पा चेट्टियार एंड संस में भी ऐसा ही हुआ था। अंगप्पा चेट्टियार एंड संस (2), उपर्युक्त दो मामलों में पहले के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि इसकी शुद्धता कभी नहीं थी

उन्होंने न्यायाधीशों के सामने चुनौती दी। अंत में *के. ए. रामुदेव में/ चेट्टियार एंड कंपनी बनाम राज्य सरकार मद्रास* (3), पीठ ने पूर्व के निर्णयों को, जो वास्तव में उस पर बाध्यकारी थे, स्पष्ट रूप से यह कहते हुए उद्धृत किया कि पूर्व प्राधिकारियों को देखते हुए इस प्रश्न को विस्तृत करना आवश्यक नहीं था। इन तीन निर्णयों में हमें उस सिद्धांत की कोई विस्तृत व्याख्या नहीं मिलती है जिस पर उनके लॉर्डशिप ने खुद को आधारित किया था और ऊपर उल्लिखित सुप्रीम कोर्ट के पहले के प्राधिकरण पर ध्यान नहीं दिया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व के दृष्टिकोण के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण पर विचार नहीं किया गया है जो बाध्यकारी था। *के. वी. आदिनारायण सेट्टी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोलार सर्कल, कोलार*<sup>6</sup>, मैसूर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक बार फिर *बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश बनाम कांतिलाल मोहनलाल और ब्रदर्स*<sup>7</sup> मध्य प्रदेश मामले में विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए दृष्टिकोण के समान दृष्टिकोण अपनाया था। इन प्राधिकरणों को भी विद्वान न्यायाधीशों के ध्यान में नहीं लाया गया था। तथापि, *हाजी जेए करीम सैत के मामले* (5), जिसके आधार पर बाद के मद्रास के निर्णय आगे बढ़ते हैं, का बारीकी से अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने वास्तव में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 (3) को अमान्य या असंवैधानिक नहीं माना था। यह सच है कि एक सामान्य सिद्धांत के रूप में उन्होंने इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया कि केंद्रीय अधिनियम एक स्थानीय कानून के प्रावधानों को अपनाने वाला कानून नहीं बना सकता है जो उस समय मौजूद नहीं था। तथापि, मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 के संगत उपबंधों पर विचार किया गया, जिसने 1939 के पूर्व मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था। उनके लॉर्डशिप ने कहा कि केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 (3) के प्रावधानों के आधार पर 1959 के मद्रास अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान आकर्षित होंगे। चर्चा के बाद उन्होंने निम्नानुसार टिप्पणी की :-

"इसलिए, यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां कानून, जैसा कि स्थानीय विधायिका द्वारा फिर से अधिनियमित किया गया है, उस समय से काफी अलग है जब केंद्रीय विधायिका ने इसके संदर्भ में अधिनियमित किया था। इस मामले का सार यह है कि मद्रास, 1959 अधिनियम की धारा 16 की विषय-वस्तु कुछ ऐसी नहीं है जिस पर संसद ने धारा 9 (3) को अधिनियमित करते समय अपना विचार नहीं रखा था। इस दृष्टिकोण से हम यह मानने के लिए राजी नहीं हैं कि धारा 9 की उप-धारा (3) असंवैधानिक है।

10. बड़े सम्मान के साथ हम ऊपर उल्लिखित मद्रास मामलों में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हम पसंद करने के इच्छुक हैं

<sup>6</sup> 14 S.T.C 587

<sup>7</sup> 19 S.T.C 377

मैसूर और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा बनाए गए कानून की निंदा ऊपर देखी गई है। इसलिए हमारा विचार है कि संसद को केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) को अधिनियमित करने का अधिकार था। ऐसा होने पर, इस उप-धारा की भाषा इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है कि संसद भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के साथ राज्य विधान को अपना रही थी, जिसे उपयुक्त राज्यों द्वारा उसमें किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से अधीनता के आरंभ में निम्नलिखित शब्दों के उपयोग से प्रतीत होता है (3):

*"अधिकारियों को उपयुक्त राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के तहत किसी भी कर के आकलन, संग्रह और भुगतान को लागू करने का अधिकार है,*

\* \* \* \* \*

"कुछ समय के लिए" शब्दों का उपयोग स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि संसद यह कल्पना कर रही थी कि भविष्य में बिक्री कर के संग्रहण के लिए संगत तंत्र में राज्यों द्वारा संशोधन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है और इसलिए केंद्रीय बिक्री कर के संग्रह आदि के प्रयोजन राथ उक्त समय पर विद्यमान प्राधिकारियों को अधिकार प्रदान किया जा सकता है। फिर, उपधारा के अंत में उपयोग किए गए शब्द नोटिस के योग्य हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि राज्य के सामान्य बिक्री कर, कानून के तहत प्राधिकरण उन प्रावधानों के तहत सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ये केंद्रीय बिक्री कर के भुगतान के आकलन, संग्रह और प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लागू होंगे। 'तदनुसार लागू होगा' शब्दों का प्रयोग विशेष महत्व का है और उपधारा के प्रारंभ में प्रयुक्त 'कुछ समय के लिए प्राधिकारी' शब्दों के संदर्भ में पढ़ने पर यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि राज्य विधान को भविष्य में किसी भी संशोधन के साथ जो उपयुक्त राज्य द्वारा किया जा सकता है, संविधि द्वारा अपनाए जाने की मांग की गई थी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, भाषा स्वयं स्पष्ट है, लेकिन केंद्रीय बिक्री कर बिल को लागू करते समय उद्देश्यों और कारणों के बयानों का संदर्भ इसे और भी स्पष्ट करता है। धारा 9 के संदर्भ में उद्देश्यों और कारणों का यह कथन निम्नानुसार पढ़ा गया है: -

"केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की ओर से अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के लिए अधिकृत करना चाहिए। केंद्रीय विधान को राज्यों को केन्द्र सरकार की शक्ति भी प्रत्यायोजित करनी चाहिए

कर वसूलना और एकत्र करना और इस उद्देश्य के लिए पंजीकरण, मूल्यांकन आदि की उसी प्रणाली को निर्धारित करना है, जो संबंधित राज्यों में उनकी अपनी बिक्री कर प्रणाली के तहत प्रचलित है।

11. यह ध्यान देने योग्य है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 उपबंध (3) के निर्माण के लिए मैसूर राज्य बनाम *यदलम लक्ष्मीनरसिम्हिया सेट्टी एंड संस*<sup>8</sup> है। हालांकि यह सच है कि अब उठाए गए तर्क को उक्त निर्णय में नहीं माना गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने इस धारणा पर कार्रवाई की कि उप-धारा *अंतर-विहित* थी और निर्णय के दौरान निम्नानुसार भी देखी गई: -

केन्द्रीय अधिनियम को अंतर-राज्यीय बिक्री पर बिक्री कर लगाने और एकत्र करने के लिए पारित किया गया था ताकि भ्रम और अधिकार क्षेत्र के टकराव से बचा जा सके; कर भी केवल राज्यों के लाभ के लिए एकत्र किया जाता है।

12. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, श्री थापर द्वारा उठाया गया पहला विवाद अवश्य विफल होना चाहिए।
13. हम श्री थापर के दूसरे तर्क पर विचार करना जारी रखते हैं। यह बताया गया है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 का उप-खंड (3) उपयुक्त राज्य मशीनरी के माध्यम से बिक्री कर एकत्र करने की शक्ति बनाता है जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन है। वर्तमान मामले में पंजाब सरकार ने 1957 में केन्द्रीय बिक्री कर (पंजाब) नियम बनाए और इन्हें समय-समय पर संशोधन के माध्यम से बदल दिया गया। इन नियमों के नियम 7-ए (एल) और 9 पर विशेष भरोसा रखा गया था जो इस प्रकार हैं: -

*"जानकारी प्रस्तुत करना:*

- 7-क(1) अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक डीलर प्रत्येक माह/तिमाही/वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित मासिक/तिमाही/वाषक रूप में विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें देय कर के टोकन में ट्रेजरी/बैंक रसीद भी शामिल होगी। भुगतान उन स्थानों पर संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी के पक्ष में तैयार किए गए क्रॉस-चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से भी अनुमत होगा जहां ट्रेजरी व्यवसाय किया जाता है।

भारतीय स्टेट बैंक को सहायक ट्रेजरी नियमों के नियम 2.5 के तहत नोट 4 के प्रावधानों का उचित सम्मान दिया जा रहा है।

2. \*
3. \*
4. \*
5. \*

8.\*

9. जो कोई भी इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और जब अपराध जारी रहता है, तो दैनिक जुर्माना जो प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये तक हो सकता है, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है।

उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि जैसा कि नियम 7-ए (एल) में निर्देश दिया गया है कि भुगतान किए गए कर के टोकन के रूप में ट्रेजरी या बैंक रसीद को फॉर्म 1 में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, इसके उल्लंघन को केवल नियम 9 के तहत दंडनीय बनाया जा सकता है। तर्क का बोझ यह है कि यह नियम 9 पंजाब अधिनियम की धारा 10 (4) और 10 (6) नामक पंजाब अधिनियम के दंड खंडों को ओवरराइड करता है और नियम 7-ए (एल) के तहत आवश्यक अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करते समय कर का भुगतान न करने और संबंधित रसीदों को संलग्न करने में विफलता दोनों के लिए केवल इस नियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

14. हमें सहमत होने में हमारी असमर्थता पर खेद है। हमारे विचार में केंद्रीय अधिनियम के तहत बनाए गए केंद्रीय बिक्री कर (पंजाब) नियम पूरी तरह से अलग क्षेत्र पर कब्जा करते हैं और कर का भुगतान न करने के लिए मूल्यांकन, संग्रह और दंड लगाने की शक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है। कर का भुगतान करने और निविदा करने का दायित्व पंजाब अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (4) द्वारा लगाया जाता है और इसके तहत बनाए गए नियम ऐसा करने के तरीके और तरीके को निर्धारित करते हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पंजाब अधिनियम की धारा 10(6) के तहत सीधे दंडात्मक प्रावधान लागू होगा।
15. केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्वधीन है। नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय अधिनियम की धारा 13 (4) द्वारा दी गई है। केंद्रीय बिक्री

कर (पंजाब) नियमावली, 1957, परिणामस्वरूप केंद्रीय अधिनियम की धारा 13 की उप-धाराओं (3) और (4) के अधिकार के तहत तैयार किए गए हैं। पंजाब नियम 1957 के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ इन नियमों को तैयार करने के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रकट करता है। धारा 13 की उप-धारा (4) (ए) पंजीकृत डीलरों आदि की सूचियों के प्रकाशन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, और इसके लिए प्रदान करने वाला संबंधित नियम नियम 5 है। इसी प्रकार उपधारा (4) (ख) में यह प्रावधान है कि बिक्री आदि से संबंधित लेखाओं को पंजीकृत डीलरों द्वारा किस रूप में रखा जाना है और नियम 7 इस प्रावधान से संबंधित है। धारा 13 की उपधारा (4) (डी) में इस अधिनियम के तहत अपेक्षित किसी भी पुस्तकों, खातों या दस्तावेजों के निरीक्षण का प्रावधान है और बनाया गया प्रासंगिक नियम नियम 6 है। इसी प्रकार नियम 7-क, जो विशेष विचारका विषय है, अधिनियम की धारा 13(4)(ग) के प्राधिकार के अधीन तैयार किया गया है जिसमें माल के भंडार, खरीद और बिक्री से संबंधित कोई भी सूचना प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह नियम 7-क मूल रूप से 20 फरवरी, 1957 को बनाया गया था और इसमें 23 मई, 1958 और 30 सितंबर, 1958 की संशोधन अधिसूचनाओं द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं और इसमें उप-नियम (3), (4) और (5) को भी जोड़ा गया है। नियम 7-ए इसके पहले निम्नलिखित शीर्षक है जो नियमों के निर्माताओं के इरादों को स्पष्ट करता है।

"जानकारी प्रस्तुत करना।

(हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि पंजाब करधान संहिता के आधिकारिक प्रकाशन ने, प्रिंटर की त्रुटि के कारण, अनजाने में इस शीर्षक को हटा दिया है)।

16. ऊपर दिए गए संदर्भ में और नियम 7-ए के प्रावधानों के बारीकी से विश्लेषण करने पर, यह स्पष्ट है कि यह नियम पूरी तरह से कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए है जो अधिकारियों द्वारा आवश्यक हो सकता है। ये प्रावधान प्रपत्रों आदि से संबंधित पूर्णतया प्रक्रियात्मक हैं और प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का तरीका है। उप-नियम (2) में प्रावधान है कि भुगतान चालान फॉर्म ॥ में किया जाएगा और उप-नियम (3) फॉर्म 'सी' में प्रासंगिक घोषणा के साथ एक रजिस्टर के रखरखाव को संलग्न करता है और उप-नियम (4) प्रासंगिक घोषणाओं के निरीक्षण का अधिकार देता है। अंत में, उप-नियम (5) में पहले वाले में किसी त्रुटि या चूक के मामले में संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ये हैं



**मैसर्स ऑटो पिन (इंडिया) पंजीकृत, फरीदाबाद बनाम हरियाणा राज्य, आदि।  
(संधावालिया, जे।**

केवल प्रक्रियात्मक, और फॉर्म और तरीके को निर्धारित किया गया है जिसमें जानकारी को बनाए रखा जाना है और अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना है। इन प्रावधानों का सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(3) के साथ पढ़े जाने वाले मूल प्रावधानों से स्पष्ट रूप से कोई लेना-देना नहीं है, जो उन प्रावधानों के तहत देय करों के भुगतान और निविदा के मूल्यांकन या देयता के संबंध में हैं। कर का भुगतान करने के लिए वैधानिक दायित्व पंजाब अधिनियम की धारा 10 के तहत आता है, उप-धारा (1) जिसमें प्रावधान है कि इसके तहत देय कर; प्रदान किए गए तरीके से और ऐसे अंतराल पर भुगतान किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है। पंजाब के तहत विस्तृत नियमों के अनुसार; सामान्य बिक्री कर अधिनियम और नियम 40 से 45 तैयार किए गए हैं; यह विशेष रूप से निविदा के तरीके और कर और अन्य बकाया राशि के भुगतान से संबंधित है। वे उस अवधि को भी निर्धारित करते हैं जिस पर कर की निविदा की जानी है। कर का भुगतान करने के लिए वैधानिक दायित्व पंजाब अधिनियम की धारा 10 (4) के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, जिसे पहले ही ऊपर उद्धृत किया गया है। पंजाब अधिनियम की धारा 11 में कर के आकलन का प्रावधान है। धारा 10 और 11 के प्रावधानों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कर का आकलन इन दो धाराओं के तहत प्रदान किया जाता है और इसे भुगतान करने और निविदा करने का दायित्व धारा 10 (4) में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कर की निविदा करने के इस वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन इस प्रावधान और इसके लिए बनाए गए प्रासंगिक नियमों का उल्लंघन है। इस दायित्व के उल्लंघन के लिए जुर्माना ऊपर उल्लिखित धारा 10 (6) में प्रदान किए गए शर्तों में है। इसलिए, संविधि के ये प्रावधान यह पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि मूल्यांकन, संग्रह और किसी भी कर के भुगतान को लागू करने की शक्ति का प्रासंगिक क्षेत्र, जिसमें आवश्यक रूप से कोई जुर्माना शामिल है, उपर्युक्त प्रावधानों द्वारा धारण किया जाता है। नियम 7-ए और 9। केंद्रीय बिक्री कर (पंजाब) नियम पूरी तरह से अलग हैं और उपरोक्त पहलू पर इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं है। इस संदर्भ में जो प्रावधान लागू होते हैं वे पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 (6) के हैं और इसके तहत जुर्माना लगाना स्पष्ट रूप से मान्य है। यह ध्यान देने योग्य है कि *आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद बनाम भिकाली दादाभाई एंड कंपनी*<sup>9</sup> मैसर्स हैदराबाद *मामले में* यह माना गया है कि जुर्माना लगाना कर के आकलन, लेवी और मिलान की प्रक्रिया का एक आवश्यक सहवर्ती या घटना है। इस सिद्धांत को लागू करते हुए यह आवश्यक रूप से इस प्रकार है कि संबंधित प्रावधान केंद्रीय बिक्री कर (पंजाब) नियमों के नियम 7-ए के तहत सूचना प्रस्तुत करने के लिए आकस्मिक और प्रक्रियात्मक प्रावधानों के बजाय धारा 10 (6) के होंगे, जिसका उल्लंघन इसके नियम 9 के तहत दंडनीय है।

17. हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया था कि भले ही यह तर्क के लिए मान लिया जाए कि केंद्रीय बिक्री कर (पंजाब) नियमों का रु 9 भी इस कर का भुगतान न करने के लिए आकर्षित होता है, फिर भी नियम 9 के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि यह एक दंडनीय आपराधिक अपराध बनाता है। यह बताया गया कि नियम 9 में जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान है और आगे कहा गया है कि यदि अपराध जारी रहता है तो इसके प्रावधानों के तहत दैनिक जुर्माना लगाया

<sup>9</sup> A.I.R 1961 S.C 1265

### आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(1972)1

जा सकता है। नतीजतन, यह तर्क दिया गया कि इस नियम ने, यदि कर का भुगतान करने के कर्तव्य का उल्लंघन किया है, तो इसके तहत दंडनीय अपराध बना दिया है। यह तर्क दिया गया था कि यह किसी भी तरह से अधिनियम की धारा 10 (6) के तहत प्रदान किए गए अनुसार जुर्माना लगाने के लिए प्राधिकरण की शक्ति को नहीं छीनेगा। हमें उत्तरदाताओं की ओर से भी इस तर्क में काफी दम नजर आता है।

18. ऊपर उल्लिखित निर्णयों से हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, हम उससे दृढ़ हैं। इन प्राधिकरणों में मैसूर और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय दोनों ने राज्य अधिनियमों के प्रासंगिक परंतुक के तहत जुर्माना लगाने की शक्ति को बरकरार रखा है। ऊपर मध्य प्रदेश का मामला सीधे इस बिंदु पर है क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश केंद्रीय बिक्री कर नियमों के नियम 7-ए पर आधारित एक समान तर्क उठाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त नियम 7-ए केंद्रीय बिक्री कर (पंजाब) नियमों के नियम 7-ए के अनुरूप है। उसी विद्वान के विचार पर न्यायाधीशों ने कहा था कि संबंधित नियमों का दंड खंड वह नहीं था जो आकर्षित किया गया था और इसके बजाय मध्य प्रदेश अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे। हम तर्क की इस पंक्ति से सहमत हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया दूसरा तर्क भी विफल हो जाता है। किसी अन्य मुद्दे पर जोर नहीं दिया गया है।
19. इसलिए, ये सभी याचिकाएं विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं, लेकिन हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देंगे।

■ FV

### न्यायाधीश हरबंस सिंह ।

20. मैं अपने विद्वान भाई द्वारा प्रस्तावित आदेश से सहमत हूं। विद्वान वकील द्वारा दो मुख्य तर्कों को संबोधित किया गया था। पहला यह कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 (3) (इसके बाद केंद्रीय अधिनियम के रूप में संदर्भित) के आधार पर, सामान्य बिक्री कर अधिनियम के एकमात्र प्रावधान क्योंकि वे उस तारीख को मौजूद थे जब केंद्रीय अधिनियम लागू किया गया था और केंद्रीय अधिनियम के पारित होने के बाद सामान्य बिक्री कर अधिनियम में किया गया कोई भी संशोधन वसूली के संबंध में लागू नहीं होगा। केंद्रीय बिक्री कर। मैं इस विवाद के संबंध में अपने विद्वान भाई द्वारा दिए गए निष्कर्षों से सहमत हूं और मेरे पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है।
21. 1 थन विद्वान 1 द्वारा आग्रह किया गया दूसरा मुद्दा यह था कि सामान्य बिक्री कर अधिनियम के प्रावधान किसी भी मामले में केंद्रीय अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन होंगे। अंतर-राज्यीय बिक्री कर के भुगतान के लिए दायित्व केंद्रीय अधिनियम की धारा 6 द्वारा लगाया जाता है। धारा 6 की उप-धारा (1) के अनुसार, कर का भुगतान करने की देयता "इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन" उत्पन्न होती है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

**मैसर्स ऑटो पिन (इंडिया) पंजीकृत, फरीदाबाद बनाम हरियाणा राज्य, आदि।  
(संधावालिया, जे।**

"अधिकारियों को उपयुक्त राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के तहत किसी भी कर के आकलन, संग्रह और भुगतान को लागू करने का अधिकार फिलहाल भारत सरकार की ओर से होगा। इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, इस अधिनियम के तहत डीलर द्वारा देय किसी भी कर का आकलन, संग्रह और भुगतान को लागू करना के लिए इस उद्देश्य का वे सभी या उपयोग कर सकते हैं

राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के तहत उनके पास कोई भी शक्ति है; और ऐसे कानून के प्रावधान, जिसमें रिटर्न, अपील, समीक्षा, संशोधन, संदर्भ, दंड और अपराधों के कंपाउंडिंग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, तदनुसार लागू होंगे।

उपर्युक्त प्रावधान के विश्लेषण से पता चलता है कि जिन प्राधिकरणों को केंद्रीय अधिनियम की धारा 6 द्वारा लगाए गए कर को एकत्र करना है, वे उपयुक्त राज्य के सामान्य बिक्री कर को एकत्र करने और लागू करने के लिए अधिकारियों के समान होंगे। दूसरे, ऐसे प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत डीलर द्वारा देय किसी भी दंड सहित किसी भी कर के भुगतान का आकलन, संग्रह और लागू करने के लिए अधिकृत हैं, उसी तरह से जैसे वे राज्य कानून के तहत कर के भुगतान का आकलन, संग्रह और लागू कर सकते हैं; तीसरा, ये प्राधिकरण उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने के हकदार होंगे जो उनके पास राज्य कानून के तहत हैं और अंत में रिटर्न, अपील और दंड से संबंधित प्रावधानों सहित ऐसे राज्य कानून का प्रावधान लागू होगा।

तदनुसार, उपर्युक्त उल्लिखित शब्द (इस रिपोर्ट में इटैलिक) यह स्पष्ट करते हैं कि केन्द्रीय कर आदि का आकलन करने और एकत्र करने की राज्य प्राधिकारियों की शक्तियां और दंड के संबंध में राज्य कानून के अंतर्गत उनके पास जो शक्तियां हैं, वे इस अधिनियम में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन हैं। इस प्रकार यदि नियम के तहत नियम हैं। अधिनियम में किसी विशेष मामले का प्रावधान है और राज्य कानून में भी यह प्रावधान है कि उसी मामले के लिए और दोनों के बीच टकराव होता है तो केंद्रीय अधिनियम के तहत बनाए गए नियम प्रबल होंगे। इस हद तक, विद्वान वकील के तर्क को बल मिलता है।

22. केंद्रीय अधिनियम के तहत नियमों की इस श्रेष्ठता के आधार पर विद्वान वकील का आगे का तर्क यह था कि केंद्रीय बिक्री कर (पंजाब) नियम, 1957 के नियम 9 में किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है और ऐसे नियमों में से एक, अर्थात्, नियम 7-ए प्रो-., बकाया कर जमा करने और भुगतान किए गए कर के टोकन में ट्रेजरी या बैंक रसीद प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान है। लौटना। वर्तमान मामले में, स्पष्ट रूप से ऐसी रसीद पेश नहीं की गई थी और इसलिए, इस नियम का उल्लंघन हुआ है। नतीजतन यह आग्रह किया गया कि नियम 9 के तहत प्रदान किया गया जुर्माना सामान्य बिक्री कर अधिनियम के तहत प्रदान किए गए दंड से अलग है, केवल नियम 9 द्वारा प्रदान किया गया जुर्माना लागू करने योग्य होगा। जैसा कि मेरे विद्वान भाई द्वारा बताया गया है, नियम 9 में इस अर्थ में दंड का प्रावधान नहीं है कि यह करदाता को किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाता है, लेकिन केवल किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए एक आपराधिक अपराध बनाता है, जबकि सामान्य बिक्री कर अधिनियम के तहत प्रावधान अतिरिक्त कर का भुगतान करने के दंड का प्रावधान करता है जो कि कर का 1 1/2 गुना हो सकता है। देय कर। नियम 9 के प्रवर्तन

**आई.एल.आर. (पंजाब और हरियाणा)**

**(1912:1 ')**

के मामले में, जिसने केवल एक आपराधिक अपराध बनाया, सजा केवल एक आपराधिक अदालत द्वारा शिकायत किए जाने पर दी जा सकती है, जबकि दूसरी ओर सामान्य बिक्री कर अधिनियम के तहत वसूली योग्य जुर्माना केवल एक नागरिक देयता होगी, जिसे कर अधिकारियों द्वारा लागू किया जा सकता है। तथ्यों का एक ही सेट एक आपराधिक अपराध पैदा कर सकता है और साथ ही एक नागरिक दायित्व भी पैदा कर सकता है और उत्तरदाताओं की ओर से यह सही आग्रह किया गया था कि नियम 9 अधिनियम में दंड प्रावधान के समान क्षेत्र को कवर नहीं करता है। इस संबंध में, मैं अपने विद्वान भाई के साथ सम्मानजनक सहमति में हूँ ।

23. इन टिप्पणियों के साथ, मैं प्रस्तावित आदेश से सहमत हूँ कि रिट को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

**अस्वीकरण :** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।